[2019] 2 एस. सी. आर 749

गुजरात राज्य

वी.

अनवर उस्मान सुम्बानिया और ओआरएस।

(आपराधिक अपील सं। 1359-1361 2007 का)

फरवरी 27,2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.] आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987: एस. 20

ए (2)-एस के तहत पूर्व मंजूरी। 20 ए (2)-की वैधता-विवादित आदेश द्वारा, नामित न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एस के तहत कोई पूर्व मंजूरी नहीं थी। 20 - ए (2) उत्तरदाताओं द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान लेने से पहले-आयोजितः विषय मंजूरी आदेश के अवलोकन से पता चला कि यह केवल डी. एस. पी. से प्राप्त एफ. आई. आर. और प्रस्ताव के लिए है-मंजूरी आदेश में टिप्पणी इस तथ्य का संकेत थी कि यह आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं थी, बल्कि टाडा के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति दे रही थी-इस तरह की मंजूरी को एक वैध मंजूरी के रूप में नहीं माना जा सकता है-दंड संहिता, 1860-एस. 121 , 121 ए, 122 और एस। 34 - शस्त्र अधिनियम, 1959-ss. 25 , 27 (1) और 29 ए -

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 - एस. 20-भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933

– एस. 6 (1-ए)।

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987: एस. 3

- टाडा के तहत केवल वॉकी-टॉकीज़ रखना अपराध नहीं होगा-तत्काल मामले में, प्रतिवादी नं. 3 यह दर्शाता है कि इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं था कि क्या मंजूरी देने वाला प्राधिकारी प्रतिवादी संख्या 3 की जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के बारे में सचेत था, जिसने केवल उससे दो वॉकी-टॉकीज़ को रखने और बरामद करने का सुझाव दिया था।

-

मंजूरी देने वाला प्राधिकारी धाराओं की उप-धारा (1) से (6) के तहत विभिन्न अपराधों में से विशिष्ट अपराधों के लिए मंजूरी देने के लिए बाध्य कर्तव्य के तहत था। 3 टाडा का - एस. 4 विघटनकारी गतिविधियों को संदर्भित करता है जबकि एस। 5 अनधिकृत वर्गीकृत के कब्जे को संदर्भित करता है

हथियार और गोला-बारूद-एक वॉकी-टॉकी निश्चित रूप से उन वर्गीकृत हथियारों और गोला-बारूद में से एक नहीं है-कथित मंजूरी को केवल इसी मामले में दिमाग का उपयोग न करने की बुराई का सामना करना पड़ा।

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987:

किसी भी अन्य अपराध (टाडा के अलावा) की सुनवाई करने के लिए नामित न्यायालय की शक्ति-क्या नामित न्यायालय अभियुक्त व्यक्तियों को अन्य अधिनियमों (टाडा के अलावा अन्य) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहरा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टाडा)-आयोजितः नामित न्यायालय, टाडा के तहत मामले की सुनवाई करने के अलावा, किसी भी अन्य अपराध की भी सुनवाई कर सकता है जिसके साथ आरोपी पर उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है यदि अपराध टाडा के तहत अपराधों से जुड़े हैं-क्योंकि, अन्य अधिनियमों के तहत अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए नामित न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है यदि उन आरोपों को स्थापित करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत हैं-हालाँकि, तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष अनिवार्य रूप से टाडा के प्रावधानों के तहत दर्ज आरोपी के इकबालिया बयान पर भरोसा करता है-यह अन्य अधिनियमों के तहत अपराधों के लिए मुकदमे में आरोपी के खिलाफ कोई लाभ नहीं होगा और निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं होगा, विशेष रूप से जब नामित न्यायालय वैध मंजूरी के अभाव में टाडा के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता था-कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. धारा के तहत जारी मंजूरी आदेश (Exh.84)

जामनगर (पीडब्लू-15) प्रावधानों को लागू करने की मंजूरी देने के लिए था। टाडा और उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उत्तरदाताओं ने

गढ़वी के मामले में कथन पर सही ढंग से भरोसा किया गया, जहां टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत इसी तरह की कथित मंजूरी द्वारा जारी की गई थी।

कुछ अन्य टाडा मामले के संबंध में वही अधिकारी डी. जी. पी. (पी. डब्ल्यू.-14) विचार के लिए आए। उसमें विचार किए गए मंजूरी आदेश के शब्द निम्न के समान थे।

विचार करें। [पैरा 13] [764-एफ-एच]

रामभाई नाथभाई गढ़वी और अन्य। वी. गुजरात राज्य (1997) 7 एससीसी 744: [1997] 3 पूरक।

लेकिन हस्ताक्षर किए और 9.11.1993 पर जारी किए गए। तत्काल मामले में भी, मंजूरी जारी करने से पहले पीडब्लू-14 द्वारा गणना किए गए केवल दो दस्तावेजों, एफ़. आई. आर. और डी. एस. पी., जामनगर द्वारा भेजे गए पत्र या प्रस्ताव का संदर्भ था। सबूत में, हालांकि यह दावा किया गया था कि डीएसपी (पीडब्लू-15) को चर्चा के लिए बुलाया गया था और जिन्होंने बदले में उन्हें जांच के सभी प्रासंगिक विवरणों से अवगत कराया, लेकिन

यह तथ्य किसी भी समकालीन अभिलेख में परिलक्षित नहीं हुआ था। नहीं।

अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा अभिलेख प्रस्तुत किया गया था। विषय मंजूरी (Exh.84) का शब्दांकन महत्वपूर्ण है। जब रिपोर्ट किए गए मामले में मंजूरी के साथ जोड़ा जाता है (Exh.63 में पुनः प्रस्तुत किया जाता है

उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9), यह स्पष्ट है कि तत्काल मामले में भी, Exh.84 में जो उल्लेख किया गया था, वह टाडा की धारा 3,4 और 5 को लागू करने की अनुमति थी। रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 14 और 15 में, इस अदालत ने राय दी कि इस तरह की टिप्पणी स्वयं इस तथ्य का संकेत थी कि यह आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं थी, बल्कि टाडा के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति दे रही थी। इस तरह की मंजूरी को एक वैध मंजूरी के रूप में नहीं माना जा सकता है, बहुत कम दिमाग के उचित आवेदन के बाद जारी किया गया है। यही तर्क तत्काल मामले की तथ्य स्थिति पर प्रोप्रियो वीगर लागू होता है।

[पैरा 14] [767-सी-एफ]

2.1 1 अप्रैल, 2005 की मंजूरी (Exh.57), संबंधित

अभियुक्त सं. 3/प्रतिवादी सं. 3, के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया ' ए. के. बी. ', आई. जी. पी. (जिनका परीक्षण नहीं किया गया है) को पी. डब्ल्यू. 10 के साक्ष्य के साथ पढ़ने से पता चलता है कि यह सभी पहलुओं पर उचित विचार करने के बाद जारी किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, जामनगर (जांच नहीं की गई) दिनांक 15 मार्च, 2005 (Exh.56)। 1 अप्रैल, 2005 (Exh.57) की कथित मंजूरी अंततः 'एकेबी' के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई। आई. जी. पी. (जांच नहीं की गई)। [पारस 16-18] [767-जी-एच; 768-ए, 771-डी; 774-ए] [2019] 2 एस. सी. आर.

2.2 Exh.57 के एक नंगे अवलोकन से पता चला कि इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि क्या मंजूरी देने वाला प्राधिकरण सचेत था

संबंधित अभियुक्त (प्रत्यर्थी संख्या 3) की जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री, जिसमें केवल उससे दो वॉकी-टॉकीज़ रखने और बरामद करने का सुझाव दिया गया था। यदि अभियुक्त सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 के विरुद्ध एकमात्र आपत्तिजनक सामग्री यही है, तो मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना चाहिए था, जिसमें यह भी शामिल है कि इस तरह के कब्जे में कैसे निहित होगा।

टाडा की धारा 4 या 5 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का करना। इसके अलावा, टाडा की धारा 3 विभिन्न अपराधों, अर्थात् आतंकवादी कृत्यों [धारा 3 (2)], को साजिश या उकसाने या जानबूझकर आयोग को सुविधा प्रदान करने में पक्षकार होने के रूप में प्रस्तुत करती है।

आतंकवादी कृत्यों [धारा 3 (3)], किसी भी आतंकवादी को पनाह देना या छिपाना [धारा 3 (4)], एक आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य होना, जो आतंकवादी कृत्यों में शामिल है [धारा 3 (5)], और किसी भी आतंकवादी कृत्य [धारा 3 (6)] से प्राप्त या प्राप्त किसी भी संपत्ति को रखना। मंजूरी देने वाला प्राधिकारी उप-धाराओं के तहत विभिन्न अपराधों में से विशेष रूप से अपराधों को मंजूरी देने के लिए बाध्य था।

Exh.57 के माध्यम से कथित मंजूरी भी गैर के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है मन का अनुप्रयोग, केवल इसी हिसाब से। [पैरा 19] [775-सी-जी]

3. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि नामित न्यायालय, टाडा के तहत मामले की सुनवाई करने के अलावा, किसी अन्य अपराध पर भी मुकदमा चला सकता है।

यदि अपराध टाडा के तहत अपराधों से जुड़े हैं तो अभियुक्त पर उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है। अंतर्निहित शक्ति के लिए यदि उन आरोपों को स्थापित करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य है तो अन्य अधिनियमों के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए नामित न्यायालय को सौंपा गया है। तत्काल मामले में भी, यह देखा गया है कि अभियोजन पक्ष ने अनिवार्य रूप से टाडा के प्रावधानों के तहत दर्ज अभियुक्त के इकबालिया बयान पर भरोसा किया है। अन्य अधिनियमों के तहत अपराधों के लिए मुकदमे में अभियुक्त के खिलाफ इसका कोई फायदा नहीं होगा और निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं होगा, विशेष रूप से जब नामित न्यायालय गुजरात राज्य v के अभाव में टाडा के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता था।

अनवर उस्मान सुम्बानिया

एक वैध सजा। इसके अतिरिक्त, तत्काल मामले में, खोज और जब्ती के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य घातक कमियों से भरे हुए हैं। प्रत्यर्थियों के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत नहीं था।

अन्य अधिनियमों (टाडा के अलावा) के तहत अपराधों के संबंध में। नामित न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष, कि उत्तरदाता उन अपराधों के लिए दोषी नहीं थे जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पारस 23,24,25] [777-बी-सी; 778-डी-एफ]

प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश भुट्टो बनाम। गुजरात राज्य

(2005) 2 इसके बाद एस. सी. सी. 409 [2005] 1 एस. सी. आर. 408 आया।

अशरफखान उर्फ बाबू मुन्नाखान पठान और अन्र। वी. राज्य गुजरात का (2012) 11 एस. सी. सी. 606 [2012] 12 एस. सी. आर. 1033-आश्रित

पर

अहमद उमर सईद शेख बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1996) 11 एससीसी

61 [1996] 9 पूरक। एस. सी. आर. 53; हरपाल सिंह बनाम। की स्थिति पंजाब, (2007) 13 एससीसी 387: [2007] 12 एस. सी. आर. 830; राज्य

ए. पी. वी. ए. सत्यनारायणा और अन्य। (2001) 10 एससीसी 597;

बिहार राज्य और अन्र। वी. पी. पी. शर्मा और अन्र. (1992) सप. (1)

एससीसी 222: [1991] 2 एस. सी. आर. 1; मो. इकबाल एम. शेख और अन्य।

वी. महाराष्ट्र राज्य (1998) 4 एससीसी 494: [1998] 2 एससीआर

734 ; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी

600 [2005] 2 पूरक। एससीआर 79; सीनी नैनार मोहम्मद बनाम। राज्य (2017) 13 एससीसी 685: [2017] 3 एससीआर 312-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[1997] 3 पूरक। एससीआर 356

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

[1996] 9 पूरक। एससीआर 53

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2007] 12 एससीआर 830

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2005] 1 एससीआर 408

पीछा किया।

पै

रा 7

(2001) 10 एस. सी. सी. 597

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[1991] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[1998] 2 एससीआर 734

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

[2005] 2 पूरक। एससीआर 79

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

[2017] 3 एससीआर 312

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2012] 12 एससीआर 1033

उस पर भरोसा करें

[2019] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2007 का सं. 1359-1361

निर्दिष्ट के 12.01.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

विशेष टाडा मामले में न्यायाधीश, जामनगर, सं। 3 1994 का, 1997 का 3 और 2005 का 1

सुश्री पिंकी बेहरा, सुश्री विशाखा और सुश्री हेमंतिका वाही, अधिवक्ता। ,

अपीलार्थी के लिए।

ए. सिराजुद्दीन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री निधि, कारी वेंकट रेड्डी और

एस. गोकुला कृष्णन, अधिवक्ता। , उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. आतंकवादी की धारा 19 के तहत दायर तत्काल अपील और

विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में "टाडा"), विशेष टाडा मामले Nos.3/1994,3/1997 और 1/2005 में नामित न्यायाधीश, जामनगर द्वारा पारित 12 जनवरी, 2007 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ है, जिसमें प्रतिवादियों को कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं पाए जाने के बाद बरी कर दिया गया है।

2. उत्तरदाताओं के खिलाफ अलग आरोप पत्र दायर किए गए थे

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 121,121 ए, 122, टाडा की धारा 3,4 और 5, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1) (ए) (डी), 25 (1 एए), 25 (1 बी) (एबीएफजी), 27 (1), 29 (ए) (संक्षेप में "1959 अधिनियम"), भारतीय टेलीग्राफ की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध। अधिनियम, 1885 (संक्षेप में "1885 अधिनियम") और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 की धारा 6 (1-ए) (संक्षेप में "1933 अधिनियम")। प्रत्यर्थियों पर विशेष टाडा मामले Nos.3/में उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।

1994 , 3/1997 और 1/2005, जामनगर में विशेष न्यायालय के समक्ष, जिसे फिर जामनगर में नामित न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। चूँकि तीनों आरोप पत्र एक ही अपराध के संबंध में थे और साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, विशेष टाडा मामला संख्या 3/1994 में सभी मामलों के लिए समेकित साक्ष्य दर्ज किया गया था।

3. शिकायत (Exh.27A) बकुल विठ्ठलभाई नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई थी।

जानी (पीडब्लू-6), इस जानकारी के आधार पर कि प्रतिवादी नंबर 1-अनवर उस्मान सुभानिया, सलाया बारलोवास, हुसैनी चौक "हास्मी मंजिल" के निवासी, अपने आवासीय घर में विदेशी निर्मित आग्नेयास्त्रों के अवैध कब्जे में था। छापा मारने वाला दल, पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद गुजरात राज्य v.

अनवर उस्मान सुमभानीया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(डीएसपी (पीडब्लू-15) प्रमोद कुमार झा का Exh.30 तलाशी वारंट के साथ आगे बढ़ा और छापा मारने वाले दल द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के आवासीय घर की तलाशी लेने पर निम्नलिखित वस्तुओं को जब्त कर लिया गयाः

((i)

एक-मूल्यवान पत्रिका के साथ विदेशी निर्मित कार्बाइन बंदूक

2 लाख रु.

((ii) एक-आठ कक्षों वाली विदेशी निर्मित रिवॉल्वर।

Rs.60,000/-।

((iii) छह कक्षों वाली एक विदेशी निर्मित रिवॉल्वर।

Rs.45,000/-।

(iv) एक-ट्रांसमीटर वॉकी-टॉकी सेट जिसकी कीमत रु। 1 एक लाख।

52 9 मिमी दाग बंदूकों के जीवित कारतुस।

(v)

(vi) रिवॉल्वर के 4 जीवित कारतुस।

4. हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी के तुरंत बाद, पीडब्लू-6 की पूर्व मौखिक मंजूरी लेने के बाद, इसके लिए सीआर-21/93 के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

केवल प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध कथित अपराध और उसे 18 जून, 1993 को गिरफ्तार किया गया। बाद में 21 जून, 1994 को एक आरोप-पत्र जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और मामला विशेष टाडा मामला संख्या 3/1994 के रूप में दर्ज किया गया था। आरोप-पत्र के साथ, महा-निदेशक ए. के. टंडन से अभियोजन की मंजूरी (Exh.84) प्राप्त की गई थी।

3-9/11-93 पर टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत पुलिस (पीडब्लू-14)। प्रतिवादी संख्या 2-जुनस हाजी इब्राहिम को 20 तारीख को गिरफ्तार किया गया।

मार्च, 1997 और टाडा की धारा 15 के तहत उनका इकबालिया बयान 25 मार्च, 1997 को दर्ज किया गया था, जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 को एक कार्बाइन बंदूक बेची थी। 6 अप्रैल, 1997 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ विशेष टाडा मामला संख्या 3/1997 के रूप में नामित अदालत, जामनगर के समक्ष मामला दर्ज किया गया था। उत्तरदाता संख्या 3 को 2005 में गिरफ्तार किया गया था।

10 दिसंबर, 2004 को बी. डिवीजन पुलिस स्टेशन द्वारा टाडा की धारा 3,4 और 5 के तहत पंजीकृत एक अन्य सीआर No.43/1994 के साथ संबंध। टाडा अदालत, जामनगर से प्रतिवादी संख्या 3 की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी से पहले उसे हिरासत में लेने के लिए एक स्थानांतरण वारंट प्राप्त किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद, अलग से दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को ए. के. भार्गव से टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत पूर्व मंजूरी (Exh.57) प्राप्त करने के बाद 29 अप्रैल, 2005 को आरोप पत्र दायर किया गया।

एम्बर, 2005 जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाना चाहते थे, उन्होंने अपराध का आरोप लगाया। अभियोजन पक्ष ने 15 अभियोजन पक्ष की जांच कीइस मामले के समर्थन में दस्तावेजी एन. सी. ई. के साथ उनके बयान दर्ज किए गए थे। प्रत्यर्थियों ने कोई सी. ई. गवाह पेश नहीं किया। नामित न्यायालय तब विचार करने के लिए आगे बढ़ा

तर्क दिए और विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दों को तैयार कियाः

" 1) क्या अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करता है कि अभियुक्तों का दृष्टिकोण भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए, एक-दूसरे की सहायता करने और एक-दूसरे को रोकने के लिए, अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए, पहले से साजिश की व्यवस्था करके और उस साजिश के एक हिस्से के रूप में, 10 बजे से पहले किसी भी समय हथियार इकट्ठा करने के लिए पहले से तैयारी करना हैः 00 घंटे। गैर-टेलीफोनिक संदेश के लिए उप-मशीनगन, रिवॉल्वर और कारतुस और वॉकी टॉकी सेट लाया और इसे आरोपी नंबर 1 के आवासीय घर में रखा। अनवर उस्मान सुभानिया?

2) क्या अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे साबित करता है कि

अन्य, आई. डी. 1 से पहले किसी भी समय, आरोपी नंबर 1 अनवर उस्मान सुम्बनिया के आवासीय घर से उसके कब्जे से मिली, एक मिस्र ने स्व-संचालित उप मशीन गन और 0.22 कैलीबर जर्मनी ने रिवॉल्वर और 0.8 कैलीबर अमेरिकी निर्मित रिवॉल्वर और स्टेन गन और रिवॉल्वर कार्ट्रिज और ट्रांसमीटर वॉकी टॉकी सेट बनाया था? 3) क्या अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे साबित करता है कि आरोपी नंबर 1 के कब्जे से एसटीडी पीसीओ से सलाया पोर्ट रोड पर 29-7 93 पर 21-45 से 23-45 के दौरान उसी अपराध के संबंध में, बिना लाइसेंस के वायरलेस सेट का पता चला था?

4) क्या अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे साबित करता है कि एक ही अपराध के संबंध में, आरोपी उपरोक्त मुद्दमल सब मशीन गन, रिवॉल्वर और कारतुस बिना लाइसेंस के विदेश से लाए थे और जहां होश में पाए गए थे

अभियुक्त नंबर 1 का?

5) क्या अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे साबित करता है कि एक ही अपराध के संबंध में, अभियुक्त ने जापान में दो अपराध किए

ट्रांसमीटर, तार-रहित सेट, भारत में उपरोक्त मुद्दामल में विदेशी से किसी भी समय 18-6-93 से पहले, सामान्य और आपराधिक के साथ

पी. सी. ओ. और आवासीय घर से? 6) अभियुक्त में से किसे दोषी ठहराया जा सकता है और किस अपराध के लिए?

7) कौन सा आदेश? "

6. भले ही धारा 20-ए (1) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पूर्व अनुमोदन की वैधता के बारे में कोई मुद्दा या संज्ञान लेने से पहले टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत पूर्व मंजूरी की वैधता के बारे में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था, नामित न्यायालय ने शुरुआत में उक्त मुद्दों का जवाब दिया और राय दी कि ना तो टाडा की धारा 20-ए (1) के तहत पूर्व अनुमोदन और ना ही टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत पूर्व मंजूरी उल्लिखित प्रावधानों के जनादेश के अनुरूप थी। तो धारण, नामित

अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों को कथित अपराधों के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। नामित न्यायालय के पूरी तरह से आश्वस्त होने के बावजूद

"पूर्व अनुमोदन" और "पूर्व अनुमोदन" की अवैधता के बारे में, इसने अभिलेख पर साक्ष्य को भी स्वीकार किया और कहा कि उत्तरदाताओं के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं था। क्योंकि, टाडा के प्रावधानों के तहत कथित रूप से दर्ज किए गए इकबालिया बयान को नहीं देखा जा सकता है। टाडा के तहत मुकदमा चलाने के लिए वैध मंजूरी की कमी के कारण अभियोजन विफल होने पर यह स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा, तलाशी और जब्ती प्रक्रिया भी अवैधताओं से भरी हुई थी। अतः अभिकल्पित न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को उक्त अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराते हुए बरी कर दिया और परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी संख्या 3/अभियुक्त संख्या 3, जो विचाराधीन कैदी के रूप में न्यायिक हिरासत में था, यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं थी, को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी सं. के जमानत बांड। 1 & 2 / अभियुक्त नं. 1 & 2 उन्हें निरस्त करने का आदेश दिया गया। 7. नामित न्यायालय का यह निर्णय राज्य द्वारा दायर इन अपीलों में चुनौती का विषय है। अपीलार्थी के अनुसार, नामित न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में स्पष्ट त्रुटि की कि नहीं

टाडा की धारा 20-ए (1) के तहत वैध पूर्व अनुमोदन कथित अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्राप्त किया गया था। हालाँकि, यह राय इस न्यायालय के एक निर्णय पर आधारित थी जो अब एक अच्छा कानून नहीं है।

अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि पूर्व मौखिक अनुमोदन को भी टाडा की धारा 20-ए (1) के अर्थ के भीतर एक वैध अनुमोदन के रूप में माना जा सकता है, हालांकि उस संबंध में समकालीन रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है जिसके बाद एक

औपचारिक लिखित अनुमोदन। ए. के. टंडन (पीडब्लू-14) द्वारा दी गई पूर्व मंजूरी के संबंध में, यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी कि उन्होंने मंजूरी दी थी। - 84) प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार करने के बाद और यह दिमाग के गैर-अनुप्रयोग का मामला नहीं था। इसी तरह, पूर्व मंजूरी (Exh. - 57) के संबंध में ए. के. भार्गव द्वारा प्रदत्त

अभियुक्त संख्या 3, द्वारा विधिवत विचार की गई प्रासंगिक सामग्री द्वारा भी समर्थित है

वह, जैसा कि रघुवीरसिंह सुरुभा चुडासमा के साक्ष्य से स्पष्ट है, Dy.S.P। (पीडब्लू-13) और यशोधर रामचंद्र वैद्य (पीडब्लू-10)। नामित न्यायालय की यह राय कि यह मंजूरी आदेश भी विवेक का उपयोग न करने के दोष से ग्रस्त है, स्पष्ट रूप से गलत है। यह है।

वैकल्पिक रूप से तर्क दिया गया कि भले ही नामित न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने में सही था कि प्रतिवादियों के अभियोजन को वैध अनुमोदन या वैध मंजूरी की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसे गुण-दोष के आधार पर मामले के अन्य पहलुओं पर विस्तार नहीं करना चाहिए था-क्योंकि ऐसी स्थिति में नामित न्यायालय के पास एकमात्र विकल्प मामला को नियमित अदालत में स्थानांतरित करना होगा।

टाडा की धारा 18 के तहत। किसी भी तरह से, नामित न्यायालय प्रतिवादियों/अभियुक्तों को बरी नहीं कर सकता था। इसके बजाय, यह अभियोजन पक्ष को नए सिरे से अभियोजन शुरू करने का अवसर दे सकता था।

रामभाई नाथभाई गढ़वी और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 20 में दिए गए कथन के अनुसार मंजूरी। बनाम गुजरात राज्य 1. यदि अभियोजन पक्ष उस विकल्प का लाभ उठाने के लिए इच्छुक नहीं था, तो उपरोक्त नामित न्यायालय को टाडा की धारा 18 के तहत अन्य अपराधों के मुकदमे के लिए संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र वाले नियमित न्यायालय में मामले को स्थानांतरित करने की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था। उपरोक्त निवेदन को पुष्ट करने के लिए, अहमद उमर सईद शेख बनाम यू. पी. 2 राज्य, हर्पाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, 3 और प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश भुट्टो बनाम गुजरात राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया जाता है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने उन्हें बरी करने के लिए नामित न्यायालय की अंतिम राय का समर्थन किया है। वैधता के बारे में टाडा की धारा 20-ए (1) के तहत पूर्व अनुमोदन, मौखिक अनुमोदन के बाद लिखित अनुमोदन पर स्थापित, के लिए विद्वान वकील

प्रत्यर्थियों ने पूरी निष्पक्षता से प्रस्तुत किया कि ए. पी. बनाम राज्य में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। ए. सत्यनारायणा और अन्य। रखता है

1 1 (1997) 7 एससीसी 744

2 (1996) 11 एस. सी. सी 61

3 (2007) 13 एस. सी. सी. 387

1 (2005) 2 एस. सी. सी. 409

5 (2001) 10 एस. सी. सी. 597 गुजरात राज्य बनाम। अनवर उस्मान सुमभानीया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मैदान। नतीजतन, इस न्यायालय के लिए इसकी जांच करना आवश्यक नहीं हो सकता है

वह प्रश्न और इसके बजाय इस आधार पर आगे बढ़ सकता है कि टाडा के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने से पहले वर्तमान मामले में एक वैध पूर्व अनुमोदन दिया गया था। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि नामित न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है कि धारा 20 के तहत वर्तमान मामले में पूर्व मंजूरी दी गई है। टाडा का ए (2) विवेक का उपयोग न करने के दोष से ग्रस्त है और यह कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष एक संभावित दृष्टिकोण है-जो उस संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य के उचित विश्लेषण के बाद व्यक्त किया गया है। उन्होंने गढ़वी के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है।

(ऊपर) जहां ए. के. टंडन (पीडब्लू-14) द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में खंबाला पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य टाडा मामले में जारी किए गए इसी तरह के मंजूरी आदेश की निंदा की गई है। अदालत ने अधिकारी [ए. के. टंडन (पीडब्लू-14)] के दृष्टिकोण के बारे में कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जो टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत मंजूरी के अनुसार महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में दिमाग के कम उपयोग को दर्शाता है। यह तर्क दिया जाता है कि उस मामले में भी मंजूरी देने वाले प्राधिकरण (ए. के. टंडन) ने केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमति या मंजूरी के लिए भेजे गए कार्यालय नोट को स्वीकार किया था। इसके अलावा, मंजूरी आदेश में कहा गया था कि टाडा की धारा 3,4 या 5 को जोड़ने की अनुमति दी जा रही थी, जैसा कि विषय मंजूरी आदेश (एक्स. एच. एच.) में नोट किया गया है। - 84) . इस तरह के ध्यान में रखते हुए, यह माना गया है कि यह दिमाग के गैर-अनुप्रयोग, एक आकस्मिक दृष्टिकोण और पूरी तरह से कानून के जनादेश की अवहेलना से ग्रस्त है जिसके लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है

सक्षम प्राधिकारी। क्योंकि, यह स्पष्ट रूप से चिह्नित अंतर को नजरअंदाज करता है

एफ. आई. आर. दर्ज करने के चरण में टाडा की धाराओं को जोड़ने के लिए मंजूरी देने और दूसरी ओर, आरोप लगाने से पहले टाडा के प्रावधानों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के बीच

नामित न्यायालय में उन्हें सूचीबद्ध करें। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वही तर्क विषय मंजूरी आदेश दिनांक 3/9-11-93 (Exh) पर लागू होगा। 84)। पीडब्लू-14 या पीडब्लू-15 के साक्ष्य या उस मामले के लिए अन्य दस्तावेजी साक्ष्य Exh.82 और Exh.83 का औचित्य साबित करने के लिए कोई लाभ नहीं होगा।

Exh.84 की वैधता। अभियुक्त सं. 3, दिनांक 1 अप्रैल, 2005 (एक्स. एच.) पर मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी के संबंध में। 57), वही भी, पूर्व-दृष्टि से, मन के गैर-अनुप्रयोग के दोष से ग्रस्त है। क्योंकि, सबूत

आरोपी नंबर 3 के खिलाफ जांच के दौरान एकत्र किए गए लोगों ने संकेत दिया कि उसके पास से दो वॉकी-टॉकी बरामद किए गए थे। मंजूरी

प्राधिकरण को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए था, जो किसी भी मानक के अनुसार टाडा के तहत अपराध नहीं होगा। केवल कब्जे के रूप में [2019] 2 एस. सी. आर.

किसी आतंकवादी कृत्य की साजिश या उकसाने या उसे करने में सहायता करने वाला आतंकवादी गिरोह या पक्ष। वास्तव में, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि नामित न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष के साथ कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी (Exh.84 और Exh) द्वारा जारी मंजूरी आदेश। 57) मन का उपयोग न करने की बुराई से पीड़ित हैं। इस समर्पण को समर्थन देने के लिए, विद्वान सलाह देते हैं उत्तरदाताओं ने बिहार और अन्न राज्य पर निर्भरता रखी है। बनाम। पी. पी. शर्मा और Anr.6, रामभाई नाथभाई गढ़वी (ऊपर), मोहम्मद। इकबाल एम. शेख और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य, राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू 8 3, सीनी नैनार मोहम्मद बनाम राज्य 9 9।

9. हमने विद्वान वकील सुश्री पिंकी बेहरा को पेश होते सुना है।

गुजरात राज्य की ओर से और श्री ए. सिराजुद्दीन, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील थे।

10. सबसे पहले हम मंजूरी की वैधता के मुद्दे से निपटने का इरादा रखते हैं

आदेश दिनांक 3/9-'11-93 (Exh.84)। यह दस्तावेज़ 9 अगस्त, 1993 को डीएसपी (पीडब्लू-15) प्रमोद कुमार झा द्वारा धारा 20 के तहत मंजूरी देने के लिए पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र का परिणाम है।

टाडा का ए (2)। उक्त पत्र इस प्रकार हैः

"

प्रदर्शनी-82

" नहीं।

आरबी/डी/121/1993/1810

जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय

जा

मनगर

DATED

09/08/1993

को, पुलिस महानिदेशक

और पुलिस प्रमुख

गुजरात राज्य, अहमदाबाद

विषयः सलाया पुलिस थाना अपराध I 21/93 के तहत टाडा की धारा 20 ए (1) के तहत मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में।

6 1992 सप. (1) एससीसी 222 7 (1998) 4 एससीसी 494 8 (2005) 11 एससीसी 600 9 (2017) 13 एससीसी 685 गुजरात राज्य बनाम।

अनवर उस्मान सुमभानीया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उपर्युक्त विषय के संबंध में एतद्वारा कहा गया है कि - धारा 121,121 ए, 122 के तहत सलाया पुलिस स्टेशन क्राइम I 21/93,

34 आई. पी. सी. की धारा 26 (1) (ए. डी.) (1-ए. ए.), 25 (1-बी) ए, बी, सी, एफ, जी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (1) 29 (ए), वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 6 (1) ए,

सलाया निवासी आरोपी अनवर उस्मान वढेर ने अवैध रूप से और बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखा 1) 2 लाख रुपये की विदेशी कार्बन स्टैंड गन मैगज़ीन, 2) आठ के साथ विदेशी निर्मित रिवॉल्वर। कक्ष में सिलेंडरों की कीमत Rs.60 हजार, 3) कक्ष में छह सिलेंडरों के साथ एक विदेशी निर्मित रिवॉल्वर जिसकी कीमत रु। 45 एक हजार, 4) एक ट्रांसमीटर वॉकी टॉकी सेट विदेशी बनाया गया जिसकी कीमत 1 लाख रुपये है, 5) स्टैंड गन लाइव कार्ट्रिज संख्या। 52 नं. मूल्य Rs.1040,6) रिवॉल्वर जीवित कारतुस संख्या। 4 मूल्य Rs.80/- और इसलिए उन्हें 18/06/1993 के 19/00 पर गिरफ्तार किया गया था। उसे माननीय अदालत के समक्ष पेश किया गया और रिमांड की मांग की गई, जिससे उसे तब तक रिमांड दी गई जब तक कि उसे मंजूरी नहीं दे दी गई और रिमांड के दौरान, आगे की जांच के बाद, उसके द्वारा यह खुलासा किया गया कि हथियार 1) मामुम्मिया पंजुमिया निवासी से प्राप्त किए गए थे।

पोरबंदर, 2) सलाया निवासी जुनूस इब्राहिम गजवा वढेर, 3) सलाया निवासी आदम जुसब भय वढेर की मृत्यु हो चुकी है। उस पर

एन. ओ. एस. के बारे में जाँच करना। 1 और 2, यह पाया गया कि वे भाग गए थे और इस प्रकार आगे की जाँच की जाती है ताकि इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सके। आरोपी अनवर उस्मान पटेल की रिमांड अवधि पूरी होने पर,

आगे रिमांड की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और इस प्रकार आरोपी को अदालत की हिरासत में भेज दिया गया। जहां तक उपर्युक्त अपराध का संबंध है, मंजूरी पत्र सं. गृह विभाग की ओर से वी. आई. आर./ए. टी. के./1993/3717 दिनांक 06/07/1993, के उद्देश्य के लिए

टाडा का अनुप्रयोग। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि टाडा की धारा 20 ए (2) की मंजूरी के लिए प्रासंगिक आदेश पारित किया जाए।

एस. डी./- अयोग्य

पीके ज़ा

जिला पुलिस अधीक्षक

11. इस संचार के आधार पर, कार्यालय नोट (Exh. 83)

ए. के. टंडन, डी. जी. पी. (पीडब्लू-14) के समक्ष विचार के लिए रखा गया था। उक्त कार्यालय नोट (Exh.83) इस प्रकार हैः

" प्रदर्शनी 83 (कार्यालय नोट)

" सालाया पुलिस थाना अपराध I 21/93 टाडा अधिनियम की धारा 25 (ए), 25 (1) एएबीए, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 और धारा 3,4 और 5 के तहत।

आरोपी अनवर उस्मान वढेर मुसलमान के कब्जे वाले और इस्तेमाल किए गए घर से, बिना किसी लाइसेंस के हथियार विदेशी कार्बन स्टैंड हैं। 2 लाख रुपये की गन मैगजीन, 2,000 रुपये के कक्ष में आठ सिलेंडर वाली विदेशी निर्मित रिवॉल्वर, 1000 रुपये के कक्ष में छह सिलेंडर वाली एक विदेशी निर्मित रिवॉल्वर, 1000 रुपये के कक्ष में छह सिलेंडर वाली एक ट्रांसमीटर वॉकी टॉकी सेट, 1 लाख रुपये के विदेशी निर्मित एक ट्रांसमीटर वॉकी टॉकी सेट, स्टैंड गन लाइव कार्ट्रिज। 52 नं. रु. की कीमत। 1040 और रिवॉल्वर जीवित कारतुस संख्या। 4 रु. की कीमत। 80 / और अभियुक्त से जाँच करने पर, उन्होंने कहा कि हथियार 1) पोरबंदर निवासी मामुम्मिया पंजुमिया से प्राप्त किए गए थे,

2) सलाया निवासी जुनूस इब्राहिम गजवा वढेर, 3) सलाया निवासी आदम जुसब भय वढेर (मृतक होने के बाद से)। जाँच करने पर

नं. 1 और 2, यह पाया गया कि वे भाग गए थे और इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों के लिए आगे की जांच की गई।

संबंध के साथ रखा गयाः

यह पेज पी-19/एन. एस. पर माननीय पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखने का अनुरोध है। 2. पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में, सलाया पुलिस स्टेशन क्राइम I 21/93, जामनगर सिटी B डिवीजन पुलिस स्टेशन क्राइम 151/93, पंचनोशी B डिवीजन पुलिस स्टेशन क्राइम I 57/93 और भरवाड़ पुलिस स्टेशन क्राइम I 43/93 में, S1 से S8 दस्तावेजों को हस्ताक्षर के लिए रिकॉर्ड में रखा गया है।

कृपया उसी पर हस्ताक्षर करें। एस 1 टीओ एस 8 पर दिए गए टाडा को लागू करने की अनुमति देने वाले आदेश, जो कृपया अवैध हो सकते हैं।

एस. डी./--1/11/1993 "

12. वास्तव में, पी. के. झा (पीडब्लू-15) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि

पत्र भेजना (Exh. 82), डी. जी. पी. श्री ए. के. टंडन (पीडब्लू-14) ने उन्हें चर्चा के लिए मामले के कागजात के साथ बुलाया था। इसके अलावा, श्री टंडन ने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मामले के बारे में चर्चा की थी। उस बातचीत के दौरान, पी. के. झा ने डी. जी. पी. को जांच के विवरण और अन्य विवरणों से अवगत कराया था कि गुजरात राज्य बनाम को लागू करना क्यों आवश्यक था।

अनवर उस्मान सुमभानीया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

टाडा के प्रावधान और उस संबंध में आरोप पत्र दाखिल करें। प्रमोद कुमार झा, डीएसपी (पीडब्लू-15) से आरोपी नं. 1 & 2. जिरह में, वह अपने बयान पर कायम रहे कि वह पदधारी में पुलिस महानिदेशक (पीडब्लू-14) के पास गए थे और अहमदाबाद भी गए थे, लेकिन उक्त बैठकों की तारीख और समय देने में असमर्थ थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने अपने अभिलेखों और अपनी व्यक्तिगत डायरी में बैठक के बारे में नोट्स बनाए थे जिसे ई-स्टेटमेंट कहा जाता है। हालाँकि, तथ्य यह है कि दिनांक 3/9-11-93 (Exh.84) के कथित मंजूरी आदेश में केवल एफ़. आई. आर. और डी. एस. पी., जामनगर से प्राप्त प्रस्ताव पर ध्यान दिया गया है। हम मान सकते हैं कि दो अधिकारियों-प्रमोद कुमार झा (पीडब्लू-15) और ए. के. टंडन, डीजीपी (पीडब्लू-14) ने कथित मंजूरी आदेश दिनांक 3/9-11-93 (Exh.84) जारी करने से पहले जांच की प्रकृति के बारे में बातचीत की थी। भले ही ए. के. टंडन, डी. जी. पी. (पीडब्लू-14) ने जोर देकर कहा था कि उन्होंने टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत कथित मंजूरी आदेश जारी करने से पहले पूरी तरह से अपना दिमाग लगाया था, लेकिन यह आदेश, ए. के. टंडन, डी. जी. पी. (पीडब्लू-14) के आकस्मिक दृष्टिकोण का संकेत देता है। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" अनुलग्नक-पी/5

80/5

Exh.84 चिह्नित करें।

No.J.1/1909/1/सलाया/21

93/4327 .

डी. जी. पी. और मुख्य पुलिस का कार्यालय

अधिकारी, गुजरात राज्य, अहमदाबाद

3-9 / 11-93 .

संदर्भः - 1. सलाया पुलिस स्टेशन की एफ. आई. आर. CR No.21/93 u/s। 122 आई. पी. कोड और यू/एस। 25 (1) (ए) 25 (1 एए) 25 (एबी, एएफ) 25 (1) (बी) (ए) (एफ) शस्त्र अधिनियम और यू/एस। 6 (1) ए ऑफ वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट और यू/एस। 20 टेलीग्राफ अधिनियम और यू /

एस. 135 सीमा शुल्क अधिनियम और यू/एस। 3,4,5 टाडा अधिनियम।

2. प्रस्ताव सं। डी. एस. पी., जामनगर, आर. बी.-डी.-121-1993/1810 डी. टी. डी. में सिद्ध। 9-8-93 डीएसपी, जामनगर द्वारा। गवाह की गवाही No.14 मार्क 80/5 को ex में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 84 स्प्लिट में। मामला संख्या 3/94।

एस. डी./- देसी। न्यायाधीश, 4-7-06।

जामनगर।

ध्यान से पढ़ने और अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद टाडा अनुभाग को पत्र सं. आरबीडी/121/1993/1810 डीटीडी। 9-8-93 डी. एस. पी. जामनगर और एफ. आई. आर. जामनगर जिला द्वारा। सलाया पुलिस थाना सी. आर. <आई. डी1>/[2019] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

93 यू/एस। 122 आईपी कोड और यू/एस। 25 (1) (ए) हथियार और यू/एस। 3,4,5 टाडा अधिनियम के आई. ए. के. टंडन, डी. जी. पी. और गुजरात राज्य के मुख्य पुलिस अधिकारी, अहमदाबाद संशोधित टाडा अधिनियम 1987 (संशोधन 1993) के संशोधित प्रावधानों के तहत टाडा अधिनियम 3,4,5 को लागू करने के लिए अनुमोदन/मंजूरी देता है। 20 (1) (2) .

एस.

डी/ए. के. टंडन

डी. जी. पी. और

पुलिस प्रमुख

अधिकारी,

गुजरात। राज्य,

अहमदाबाद।

को,

डी. एस. पी., जामनगर। जामनगर प्रतिलिपि बनाएँः मुख्य विशेष पुलिस अधिकारी/डिप्टी कमिश्नर। मुख्य पुलिस अधिकारी, राजकोट डिवीजन, राजकोट, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, राजकोट डिवीजन, राजकोट डिवीजन, राजकोट डिवीजन

सही प्रतिलिपि के लिए समर्थन

Dy.S.P द्वारा आवेदन की गई प्रतिलिपि. 13-4-07 पर खंभालिया

और 23-4-07 पर तैयार प्रतिलिपि बनाएँ और उस पर प्रतिलिपि वितरित करें 25-5-07 .

एस. डी./पंजीयक

असली प्रतिलिपि।

एस. डी./पंजीयक।

जिला. & सत्र न्यायालय, जैम।

गुजरात से अनुवादित।

अंग्रेज़ी में। मेरे द्वारा संस्करण "।

13. इस दस्तावेज़ को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि लेखक

ए. के. टंडन, डी. जी. पी. (पी. डब्ल्यू.-14) ने केवल ए. आई. आर. और डी. एस. पी., जामनगर से प्राप्त प्रस्ताव का उल्लेख किया। पीडब्लू-14 की समझ यह थी कि डीएसपी, जामनगर (पीडब्लू-15) से प्राप्त प्रस्ताव टाडा के प्रावधानों को लागू करने के लिए अनुमोदन देने के लिए था और उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। प्रतिवादियों ने ठीक ही गढ़वी के मामले (उपरोक्त) में उस कथन पर भरोसा किया है, जिसमें टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत उसी अधिकारी ए. के. टंडन, डी. जी. पी. (पी. डब्ल्यू.-14) द्वारा कुछ अन्य टाडा मामले के संबंध में जारी की गई इसी तरह की कथित मंजूरी विचार के लिए आई थी। इस न्यायालय द्वारा विचार किए गए मंजूरी आदेश के शब्द विचाराधीन आदेश के समान हैं। रिपोर्ट किए गए ई स्टेट ऑफ गुजरात के पैराग्राफ 9 में v.

अनवर उस्मान सुमभानीया [ए. एम. खानविलकर, जे.]नहीं, उक्त मंजूरी आदेश को पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो पढ़ता है

" 9. इस मामले में अभियोजन पक्ष एक्सट पर निर्भर करता है। 63 , जारी किया गया आदेश

पुलिस महानिदेशक, अहमदाबाद द्वारा 3-9-1993 पर, टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत मंजूरी। हम पुनरुत्पादन कर रहे हैं

एक्स. 63 नीचेः

" श्री. नहीं। जे-1/1909/1/खंबालिया 55/93 पुलिस महानिदेशक, दिनांक 3-9-1993

गुजरात राज्य, अहमदाबाद।

गौर करने योग्यः (1) अपराध के संबंध में एफ. आई. आर. पंजीकृत सं. 55/93

खंबालिया पुलिस थाने में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (बी) (ए) (बी) और

टाडा की धारा 3,4 और 5।

(2) डी. एस. पी. जामनगर द्वारा उनके पत्र सं. आरबी / डी/122/1993/1820 दिनांक 9-8-1993।

दर्ज अपराध के संबंध में एफ. आई. आर. पर विचार करने के बाद

नं. 55/93 खंबालिया पुलिस स्टेशन जिला जामनगर में

शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (बी) (ए) (बी) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3,4 और 5

टाडा और पत्र सं। डी. एस. पी. का आर. बी./डी./122/1993/1820 दिनांक 9-8

1993 टाडा के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति लेना

ध्यान से, आई. ए. के. टंडन, पुलिस महानिदेशक, गुजरात

राज्य, अहमदाबाद के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत

टाडा (1993) की धारा 20-ए (2) के संशोधित प्रावधान

टाडा की धारा 3,4 और 5 जोड़ने की अनुमति।

ए. के. टंडन

पुलिस महानिदेशक

अहमदाबाद

गुज

रात "

पैराग्राफ 10 में उक्त मंजूरी का विश्लेषण करते हुए, इस न्यायालय ने कहा

" 10. जाहिरा तौर पर एक्सट। 63 केवल दो दस्तावेजों का संदर्भ देता है जो अकेले पुलिस महानिदेशक के लिए इस बात पर विचार करने के लिए उपलब्ध थे कि मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। एक इस मामले में एफ. आई. आर. है और दूसरा अधीक्षक द्वारा अनुमति या मंजूरी के लिए भेजा गया पत्र है। उस पत्र में कोई संदेह नहीं है

पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक ने मामले के तथ्य बताए थे। लेकिन हम देख सकते हैं कि उन्होंने जांच से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज या प्रति [2019] 2 एस. सी. आर. नहीं भेजी थी।

आवेदन के साथ। न ही महानिदेशक ने

पुलिस उसके अवलोकन के लिए किसी भी दस्तावेज की मांग करती है। डी. जी. पी. के पास मंजूरी देने के सवाल पर विचार करने के लिए सब कुछ था

अभियोजन एफ. आई. आर. और आवेदन की प्रति थी जिसमें कुछ कंकाल तथ्य थे। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि

पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षक को बुलाया कम से कम उसके साथ चर्चा के लिए। ”

फैसले के पैराग्राफ 14 और 15 में फिर से, इस न्यायालय ने कहाः

“ 14. ऊपर हमने जो देखा है, उसके अलावा इस मामले में गुजरात राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा दिमाग का उपयोग न करना भी बड़ा है। एक्स्ट का एक अवलोकन। 63 (ऊपर) से पता चलता है कि पुलिस महानिदेशक ने वास्तव में अनुदान नहीं दिया था

अपीलार्थियों के अभियोजन के लिए कोई मंजूरी। इसका अंतिम भाग आदेश में कहा गया हैः ‘ आई ए के टंडन, पुलिस महानिदेशक,

गुजरात राज्य, अहमदाबाद टाडा (1993) की धारा 20-ए (2) के संशोधित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत टाडा की धारा 3,4 और 5 को जोड़ने की अनुमति देता है। अतः क्या?

पुलिस महानिदेशक ने अनुमति देने के लिए "

टाडा की धारा 3,4 और 5 जोड़ें और कोई मंजूरी नहीं

अपीलार्थियों पर मुकदमा चलाएँ। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि

टाडा की धारा 3,4 और 5 को जोड़ने की अनुमति गृह सचिव, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बहुत पहले दी गई थी। और डीएसपी द्वारा पुलिस महानिदेशक से ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी। इस प्रकार नामित न्यायालय नोटिस देने में विफल रहा

वह विस्तार। 63 मंजूरी का आदेश नहीं था, बल्कि एक अनावश्यक आदेश था

बहुत ही अनौपचारिक तरीके से और धारा 20-ए (2) के तहत अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय अभियोजन के लिए मंजूरी देने (या नहीं देने) के लिए डी. एस. पी. के अनुरोध पर कार्रवाई की गई। उनके दिनांकित 9-8-1993 पत्र में निहित, जैसे कि यह एक मांग पत्र था

टाडा के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति। व्यायाम

यह दर्शाता है कि पुलिस महानिदेशक ने प्राथमिकी और डी. एस. पी. के दिनांकित 9-8-1983 के पत्र को भी नहीं पढ़ा, ध्यान से विचार करने की तो बात ही छोड़िए। हम पुलिस महानिदेशक के इस लापरवाह रवैये पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त किए बिना नहीं रह सकते। एक सादे पढ़ने पर

एक्स. 63 , इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि यह अपीलार्थियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी का आदेश नहीं है जैसा कि धारा 20-ए (2) द्वारा आवश्यक है।

अधिनियम "। गुजरात राज्य v. अनवर उस्मान सुमभानीया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पुलिस महानिदेशक द्वारा तरीके से प्रदान नहीं किया गया कानून द्वारा आवश्यक। एक्स. 63 यह एक गंभीर विचार का परिणाम नहीं है और दस्तावेज़ मामले से संबंधित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पहलुओं में मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के दिमाग के कम अनुप्रयोग को दर्शाता है। यह मंजूरी को दूषित करता है और इसलिए एक्सट। 63 टाडा की धारा 20-ए (2) के तहत मंजूरी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

14. उपरोक्त विषय मंजूरी (Exh.84) द्वारा जारी की जाती है

एक ही अधिकारी और संभवतः उसी तारीख 3.11.93 पर तैयार किया गया था, लेकिन 9 नवंबर, 1993 को हस्ताक्षर किए और जारी किया गया। वर्तमान मामले में भी, मंजूरी जारी करने से पहले पीडब्लू-14 द्वारा गणना किए गए केवल दो दस्तावेजों के लिए संदर्भ है। जाहिरा तौर पर, एफ़. आई. आर. और डी. एस. पी., जामनगर द्वारा भेजा गया पत्र या प्रस्ताव। साक्ष्य में, हालांकि यह दावा किया गया है कि डीएसपी (पीडब्लू 15) को चर्चा के लिए बुलाया गया था और जिन्होंने बदले में उन्हें जांच के सभी प्रासंगिक विवरणों से अवगत कराया था, लेकिन यह तथ्य किसी भी समकालीन रिकॉर्ड में परिलक्षित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। विषय मंजूरी (Exh.84) का शब्दांकन महत्वपूर्ण है। जब रिपोर्ट किए गए मामले में मंजूरी (उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 में पुनः प्रस्तुत) के साथ जोड़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में भी, जो Exh.84 में नोट किया गया है, वह टाडा की धारा 3,4 और 5 को लागू करने की अनुमति है। ऊपर निकाले गए रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 14 और 15 में, इस न्यायालय ने राय दी कि इस तरह की टिप्पणी स्वयं इस तथ्य का संकेत थी कि यह मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं थी अभियुक्त लेकिन अधिकतम टाडा के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति दे रहा है। इस तरह की मंजूरी को एक वैध मंजूरी के रूप में नहीं माना जा सकता है, बहुत कम दिमाग के उचित आवेदन के बाद जारी किया गया है। हम उसी तर्क को अपनाना चाहते हैं, जो वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पर प्रभावी रूप से लागू होता है।

15. दूसरे शब्दों में, पीडब्लू-14 द्वारा दी गई 3/9-11-93 (Exh.84) की कथित मंजूरी धारा के अर्थ के भीतर एक वैध मंजूरी नहीं है।

ए. के. भार्गव (जिनका परीक्षण नहीं किया गया है) के साक्ष्य के साथ पढ़ा गया यशोधर रामचंद्र वैद्य (पीडब्लू-10), ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह पुलिस सहित सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद जारी किया गया है।

कागजात। यशोधर रामचंद्र वैद्य (पीडब्लू-10) का प्रमाण

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस बात पर कि 27 मार्च, 2005 को के कार्यालय में एक यदी प्राप्त की गई थी

पुलिस महानिदेशक और मुख्य पुलिस अधिकारी, जहाँ गवाह

एएसआई के रूप में काम करना। आर. एस. चुडासमा (पीडब्लू-13) के हस्ताक्षर के तहत यह दिनांक 11 मार्च, 2005 (Exh.55) है। वह इस प्रकार हैः

" निर्यात-55

आउटवर्ड NO.RB/741/05

पुलिस उपाधीक्षक का कार्यालय

खंभालिया प्रभाग, दिनांक 11/03/2005

पुलिस महानिरीक्षक गुजरात राज्य, गांधीनगर।

उमरमिया @Mamumiya s/0 इस्माइलमिया s/o इस्माइलमिया पंजुमिया की धारा 20 (ए) (2) के तहत पोरबंदर निवासी सैयद बुखारी

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1987।

पुलिस उपाधीक्षक, खंभालिया श्री आर. एस.

चूडासमा, एतद्वारा प्रस्तुत करते हैं कि,

सलाया पुलिस स्टेशन क्राइम I 21/93 की जाँच

आई. पी. सी. की धारा 121,121 ए, 122,34, धारा 26 (1) (एडी) (1)

एए), 25 (1-बी) ए, बी, सी, एफ, जी और शस्त्र अधिनियम के 27 (1) 29 (ए),

वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 6 (1) ए, की धारा 20

टेलीग्राफ अधिनियम और टाडा अधिनियम की धारा 3,4 और 5, द्वारा अभिनिर्धारित है मुझे।

18/06/1993 पर 13/30 बजे सलाया पुलिस स्टेशन में, पर

राज्य की ओर से श्री बी. वी. जानी पुलिस उप निरीक्षक एल. सी. बी. शाखा, जामनगर ने अनवर उस्मान के खिलाफ शिकायत की घोषणा की

सुभानिया वाघेर निवासी सलाया-हुसैनी चौक, हज़मी

मंजिल और घोषणा की कि उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था 1 का मुद्दामल) 2 करोड़ रुपये की विदेशी कार्बन स्टैंड गन पत्रिका

लाख, 2) कक्ष में आठ सिलेंडर वाली विदेशी निर्मित रिवॉल्वर रु. की कीमत। 60 हजार, 3) छह के साथ एक विदेशी निर्मित रिवॉल्वर

कक्ष में सिलेंडर जिनकी कीमत Rs.45 हजार, 4) एक है ट्रांसमीटर वॉकी टॉकी सेट विदेशी बनाया गया जिसकी कीमत रु। 1 लाख, 5) स्टैंड

बंदूक जीवित कारतुस संख्या। 52 नं. मूल्य Rs.1040,6) रिवॉल्वर लाइव

कार्ट्रिज संख्या। 4 मूल्य Rs.80/- और उपरोक्त अपराध

विस्तार से दर्ज किया गया। उपरोक्त आरोपी अनवर उस्मान, रिमांड के दौरान

एक ट्रांसमीटर वॉकी टॉकी वायरलेस सेट दिखाया जिसकी कीमत रु।

हजार और रिमांड के दौरान उसने कहा कि उसके द्वारा पोरबंदर निवासी आरोपी उमरमिया @Mammumiya s/o इस्माइलमिया @PanjumiyaSaiyed बुखारी से दो वायरलेस सेट खरीदे गए थे।

इस तरह से आरोपी उमरमिया का नाम अपराध के लिए घोषित किया गया और यह आरोपी फरार रहा। चूंकि आरोपी फरार रहा, वर्ष 1994 के दौरान, माननीय अदालत ने आरोपी को टाडा अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत फरार होने के रूप में अधिसूचित किया।

इस विशेष आरोपी उमरमिया @Mammumiya s/o इस्माइलमिया @PanjumiyaSaiyed प्रोबंदर निवासी बुखारी को पोरबंदर शहर कमलाबाग बी डिवीजन पुलिस स्टेशन क्राइम के लिए गिरफ्तार किया गया था। I 43/94 टाडा अधिनियम की धारा 3,4,5 आदि के तहत 10/12/2004 पर और उन्हें प्रोबंदर न्यायिक प्रथम श्रेणी के समक्ष लाया गया

मजिस्ट्रेट अदालत संख्या 1. इस विशेष मामले में, स्थानांतरण वारंट जामनगर नामित अदालत द्वारा 14/12/2004 पर जारी किया गया था, इसे पोरबंदर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और आरोपी को पुलिस उप निरीक्षक श्री बीवी पेंडर द्वारा 08/02/2005 पर उसकी हिरासत प्राप्त करने के बाद मेरे सामने लाया गया था। इस विशेष आरोपी को कार्यवाही के अनुसार 08/02/2005 पर 23-00 घंटे में पंच गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान,

अभियुक्त को माननीय अतिरिक्त सत्रों के समक्ष लाया गया। और नामित न्यायाधीश खंभालिया और अभियुक्त के लिए 30 दिनों की रिमांड की मांग की गई और इसलिए माननीय अदालत ने

उस्मान सुभानिया को वर्ष 1985 में तस्करी गतिविधियों के लिए अपने भाई अब्दुल्ला उस्मान सुभानिया से अनवर के पास ले जाया गया था। इसके बाद उन्होंने ये दोनों वॉकी टॉकी सेट उन्हें दिए। अनवर उस्मान सुहानिया और इस तरह जांच के दौरान इन विवरणों का खुलासा किया गया। अब्दुल्ला उस्मान सुभानिया के बारे में जाँच करने पर, जाँच के दौरान यह पता चला कि वह व्यक्ति सलाया में नहीं रहता है और अबू धाबी के पास गया है

(विदेशी राष्ट्र)। जहां तक इसकी बात है, आरोपी के लिए 15 दिनों की और रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और इस तरह उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। अभियुक्त के खिलाफ जाँच के दौरान पाए गए साक्ष्य को चिह्नित किया जाता है और प्रदान किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सलाया पुलिस स्टेशन क्राइम I 21/93 एफ़. आई. आर.

मार्क ए

हिरासत में लेने के लिए पंचनामा

मार्क बी

दिनांकित हथियार 18/06/1993

डी कोवरी है

पंचनामा

दिनांकित

मार्क सी

29/06/1993 द्वारा दिखाए गए वॉकी टॉकी के लिए आरोपी अनवर उस्मान सुभानिया

रिमांड के दौरान।

पुलिस अधिकारी के कुल 23 बयान

मार्क डी

और कर्मचारी जो थे

में उपस्थित

पार्टी पर हमला।

मार्क ई

अभियुक्त अनवर का बयान

उस्मान सुभानिया दिनांकित 21/06/1993 आवेदन के लिए पारित आदेश

मार्क एफ.

सलाया अपराध I में टाडा अनुभाग 21/93

मामले के विवरण का उल्लेख करने वाला पत्र

मार्क जी

इसके खिलाफ मामला दर्ज

आरोपित

@मम्मुमी ए

एस/0

उम आर्मिया

के लिए सीमा शुल्क पोरबंदर द्वारा मेलमिया है

चांदी की तस्करी।

द.

एफएसएल

द्वारा जारी प्रमाण पत्र

मार्क एच

लिए गए हथियारों के लिए अहमदाबाद कार्यालय

हिरासत में।

मार्क I

आरोप पत्र नं. 19 / 94 पंजीकृत

अनवर उस्मान

अभियुक्तों के खिलाफ

18/06/1994 पर सुभानिया और

आरोप पत्र की प्रति जिसमें

आरोपी मम्मुमिया पंजुमिया सैयद

नहीं। 2 .

रिपोर्ट सं. के तहत पत्र। 4 / 93 के तहत

मार्क जे.

टाडा अधिनियम की धारा 8 (3) (ए) मम मुमिया पंजुमिया पर आरोप लगाया।

द.

जिन दस्तावेजों में आरोपी

मार्क के.

मम्मुमिया पंजुमिया घोषित किया गया था फरार है।

द.

अभियुक्त का स्थानांतरण वारंट

मार्क एल.

मम्मुमिया पंजुमिया।

मार्क एम.

शारीरिक स्थिति पंचनामा गिरफ्तारी के समय दिनांकित 08/02/05

आरोपी मम्मुमिया पंजुमिया। अभियुक्त के लिए फेस मार्क रजिस्टर

मार्क एन.

मम्मुमिया पंजुमिया।

स्पष्टीकरण दिनांकित 08/02/2005 से

मार्क ओ

14/02/2005 अभियुक्त मम्मुमिया द्वारा

पंजुमिया।

द.

11 तारीख का और बयान

मार्क पी.

12/02/2005 अभियुक्त अनवर उस्मान द्वारा

सुभानिया।

मार्क क्यू

द.

11 तारीख का और बयान

12/02/2005 अभियुक्त जुनूस इब्राहिम द्वारा

गजानन।

आवेदन के लिए अदालत के आदेश की प्रति

मार्क आर

नहीं। 88 / 05 कई दिनों के लिए दायर-30 रिमांड

मम्मुमिया

अभियुक्तों के खिलाफ

पंजुमिया।

आवेदन के लिए अदालत के आदेश की प्रति

निशान

नहीं। 96 / 05 कई दिनों के लिए दायर किया गया-15 रिमांड

एस.

मम्मुमिया

अभियुक्तों के खिलाफ

पंजुमिया।

ई स्टेट ऑफ गुजरात v. अनवर उस्मान सुमभानीया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस तरह, के तहत एक आरोप पत्र दाखिल करने के उद्देश्य के लिए

आरोपी सैयद के खिलाफ टाडा अधिनियम की धारा 20 (ए) (2) 50 वर्षीय बुखारी, पोरबंदर ठक्कर प्लॉट, शेरी के निवासी

नहीं। 1 , जमादार फदी, मंजूरी की आवश्यकता है और इस प्रकार यह इसके द्वारा है

प्रस्तुत किया कि उपरोक्त दस्तावेजों को लिया जाए

आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अवलोकन और मंजूरी का प्रावधान किया जाए

टाडा अधिनियम की धारा 20 (ए) (2) के तहत अभियुक्त के खिलाफ। कृपया उपरोक्त पर विचार करें।

एस. डी./-

अयोग्य

(आर एस चुडासमा)

पुलिस उपाधीक्षक

खंभालिया प्रभाग

सम्मान के साथ भेजा गया, पुलिस अधीक्षक, जामनगर।

17. इसके बाद हस्ताक्षर के तहत एक संदेश भेजा गया।

एन. ओ. जे. शशिधर, पुलिस अधीक्षक, जामनगर (पूछताछ नहीं की गई)

15 मार्च, 2005 (Exh.56)। वह इस प्रकार हैः

“ निर्यात-56

" आउटवर्ड नं. आरबी/अवैध 4/2005

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय

जामनगर, दिनांक 15/03/2005

को,

उमरमिया @Mamumiya s/o इस्माइलमिया s/o इस्मिलमिया पंजुमिया प्रोबंदर के निवासी सैयद बुखारी धारा 20 (ए) (2) के तहत

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1987, तो

माननीय के समक्ष उसके विरुद्ध आगे की कार्यवाही करने के लिए

अदालत।

सलाया पुलिस स्टेशन क्राइम I 21/93 की जाँच आई. पी. सी. की धारा 121,121 ए, 122,34, धारा 26 (1) (एडी) (1)

एए), 25 (1-बी) ए, बी, सी, एफ, जी और शस्त्र अधिनियम के 27 (1) 29 (ए),

वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 6 (1) ए, की धारा 20

टेलीग्राफ अधिनियम और टाडा अधिनियम की धारा 3,4 और 5, द्वारा अभिनिर्धारित है

पुलिस उपाधीक्षक, खंभालिया श्री आर. एस.

चुडासमा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य की ओर से श्री बी. वी. जानी पुलिस उप निरीक्षक एल. सी. बी. शाखा, सलाया पुलिस स्टेशन में <आई. डी. 1 पर 13/30 घंटे,

एक हजार, 3) एक विदेशी निर्मित रिवॉल्वर जिसमें कक्ष में छह सिलेंडर हैं जिनकी कीमत रु। 45 हजार, 4) एक ट्रांसमीटर वॉकी टॉकी सेट विदेशी बनाया गया जिसकी कीमत रु। 1 लाख, 5) स्टैंड गन लाइव कार्ट्रिज संख्या। 52 नं. रु. की कीमत। 1040 , 6) रिवॉल्वर लाइव कार्ट्रिज संख्या। 4 रु. की कीमत। 80 / - और उपरोक्त अपराध को विस्तार से दर्ज किया गया था। उपर्युक्त अभियुक्त अनवर उस्मान ने रिमांड के दौरान एक हजार की कीमत का एक ट्रांसमीटर वॉकी टॉकी वायरलेस सेट दिखाया और रिमांड के दौरान उसने कहा कि उसने आरोपी उमरमिया से दो वायरलेस सेट खरीदे थे।

एस/ओ इस्माइलमिया @Panjumiya प्रोबंदर के निवासी सैयद बुखारी। इस तरह से आरोपी उमरमिया @मम्मुमिया पुत्र इस्माइलमिया @Panjumiya सैयद बुखारी निवासी पोरबंदर का नाम अपराध के लिए घोषित किया गया और इस तरह यह आरोपी फरार रहा। चूंकि आरोपी फरार रहा, वर्ष 1994 के दौरान, माननीय अदालत ने आरोपी को टाडा अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत फरार होने के रूप में अधिसूचित किया।

विशेष आरोपी उमरमिया @मम्मुमिया बेटा इस्माइलमिया @पंजुमिया सैयद बुखारी निवासी पोरबंदर को 10/12/2004 को टाडा अधिनियम की धारा 3,4,5 आदि के तहत प्रोबंदर शहर कमलाबाग बी डिवीजन पुलिस स्टेशन क्राइम I 43/94 के लिए गिरफ्तार किया गया था और उसे प्रोबंदर न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत नं। 1. इस विशेष मामले में, स्थानांतरण वारंट जामनगर नामित अदालत द्वारा 14/12/2004 पर जारी किया गया था, इसे पोरबंदर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आरोपी उमरमिया @Mammumiya s/o इस्माइलमिया @Panjumiya सैयद बुखारी

पोरबंदर के निवासी को पुलिस अधीक्षक के सामने लाया गया। खंभालिया डिवीजन श्री आर. एस. चुडासमा 8-02-2005 को पुलिस उपनिरीक्षक श्री बी. वी. पेंडर द्वारा अपनी हिरासत प्राप्त करने के बाद। इस विशेष आरोपी को कार्यवाही के अनुसार 08/02/2005 पर 23-00 घंटे में पंच गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार किया गया था।

ई स्टेट ऑफ गुजरात v. अनवर उस्मान सुमभानीया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सुनवाई के दौरान, अभियुक्त को माननीय अतिरिक्त सत्रों और नामित न्यायाधीश खंभालिया के समक्ष लाया गया और

अभियुक्त के लिए 30 दिनों की रिमांड मांगी गई थी और इसलिए माननीय अदालत ने 14/02/2005 के 11-00 घंटों तक अभियुक्त की पुलिस हिरासत में रिमांड को मंजूरी दे दी। रिमांड के दौरान, आरोपी से पूछताछ की गई और उसने उल्लेख किया कि दो वॉकी टॉकी सेट जो उसने अनवर उस्मान सुभानिया को दिए थे, उसे उसने अपने भाई अब्दुल्ला उस्मान सुभानिया से वर्ष 1985 में तस्करी गतिविधियों के लिए ले लिया था। इसके बाद उन्होंने ये दोनों दिए। वॉकी टॉकी 1989/90 के दौरान अनवर उस्मान सुहानिया से मिलती है और इस तरह जाँच के दौरान इन विवरणों का खुलासा किया गया। अब्दुल्ला उस्मान सुभानिया के बारे में जाँच करने पर, जाँच के दौरान यह पता चला कि वह व्यक्ति सलाया में नहीं रहता है और अबू धाबी (विदेशी राष्ट्र) गया है। इसके लिए आरोपी की 15 दिनों की और रिमांड की मांग की गई थी।

और इस तरह उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। अभियुक्त के खिलाफ जाँच के दौरान पाए गए साक्ष्य प्रस्तुत पत्र के साथ चिह्नित रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से, टाडा अधिनियम की धारा 20 (ए) (2) के तहत आरोपी उमरमिया @Mammumiya एस/ओ इस्माइलमिया @Panjumiya सैय्यद बुखारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के उद्देश्य से, 50 वर्ष की आयु, पोरबंदर ठक्कर प्लॉट निवासी, शेरी नं। 1 , जमादार

फिर भी, यह अनुरोध किया जाता है कि मंजूरी प्रदान की जाए।

संलग्न किया गयाः पत्र के साथ अभिलेख में रखे गए दस्तावेज।

एस. डी./-

अयोग्य

(मनोज शशिधर)

पुलिस अधीक्षक

जामन

गर

भेजी गई प्रतिलिपिः

पुलिस उपाधीक्षक

खंभालिया प्रभाग, खंभालिया "[2019] 2 एस. सी. आर.

18. 1 अप्रैल, 2005 (Exh.57) की कथित मंजूरी थी

ए. के. भार्गव, आई. जी. पी. (जांच नहीं की गई) के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया।

टेटेड मंजूरी इस प्रकार हैः

"

Exh.57।

निशान 13/18

नहीं। जी-1 (अपराध/टी-1/टाडा आरोप पत्र/अनुमोदन/1239/2005)

डी. आई. जी. और मुख्य पुलिस अधिकारी का कार्यालय गुजरात राज्य पुलिस भवन, सेक्टर 18 गांधीनगर।

सत्र मामला संख्या 3/94 में यशोधर रामचंद्र का बयान

मार्क 13/8 को exhi दिया गया है। गवाह No.10 के बयान में।

एस. डी./नामित न्यायाधीश, जामनगर।

संदर्भः - 1. आरोप पत्र के लिए मंजूरी देने के संबंध में यू/एस। 20 (ए) (2) आरोपी उमरमिया अलियास ममुमिया एस/ओ के खिलाफ टाडा अधिनियम

इस्माइलमिया उपनाम पंजुमिया बुखारी रेसी। पोरबंदर के लिए

अपराध यू/एस। 121 , 121 (ए) आई. पी. सी. की धारा 122,34 और यू/एस। 1 (एडी) (1 एए)

25 (1 बी), ए. बी. सी. एफ. जी. और 27 (1), 29 (ए) शस्त्र अधिनियम और यू/एस। 1 ऑफ वायर

कम टेलीग्राफ अधिनियम और यू/एस। 20 टेलीग्राफ अधिनियम और यू/एस। 3,4,5 में से

टाडा अधिनियम जिसे सलाया सी. आर. सं. <आई. डी. 1 पर गिरफ्तार किया गया था।

2. टाडा के तहत आरोप पत्र देने के प्रस्ताव को मंजूरी

अधिनियम पत्र सं। आरबीआर/1014/2005 डीटीडी। 15-3-05 डी. एस. पी, जामनगर।

ध्यान से विचार करने और प्रस्ताव पर विचार करने के बाद

और आरोपी उमरमिया मामुमिया एस/ओ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को देखते हुए। पोरबंदर के इस्माइलमिया उर्फ पंजुमिया बुखारी जिसे यू/एस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। 121 , 121 आई. पी. सी. का ए, 122,34 और यू/एस। (1) (एडी) (1 एए) 25 (1 बी) ए, बी, सी, एफ,

जी और 27 (1), 29 (ए) शस्त्र और यू/एस। (1) ए ऑफ वायरलेस टेलीग्राफिक एक्ट और यू/एस। 20 में से

टेलीग्राफ अधिनियम और सेक के तहत। 3,4,5 सलाया पुलिस स्टेशन 21/93 जिला में टाडा अधिनियम। , जामनगर आई. ए. के. भार्गव आई. जी. और प्रमुख

पुलिस अधिकारी गुजरात राज्य गांधीनगर एतद्वारा टाडा अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करते हैं। 20 (ए) (2) उमरमिया उर्फ मामुमिया एस/ओ के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए 1993 में संशोधन। सी. आर. No.21/39 यू/एस. में पोरबंदर के इस्माइलमिया उर्फ पंजुमिया बुखारी। 20 (ए) टाडा अधिनियम की धारा (2)।

गुजरात राज्य v. अनवर उस्मान सुमभानीया [ए. एम. खानविलकर, जे.]

एस.

डी/ए. के. भार्गव

आई. जी. पी.

और मुख्य पुलिस

अधिकारी

गुजरात राज्य गांधीनगर।

आंतरिक सं. 14237 कार्यालय

डी. एस. पी, जामनगर।

आरबी

आई. ओ. और एस. डी. पी. ओ. के. बी. एल.

एन/ए के लिए।

एस. डी./- अमान्य

15-4-05 "

19. Exh.57 के एक खाली अवलोकन पर, संकेत करने के लिए कुछ भी नहीं है

क्या मंजूरी देने वाला प्राधिकारी संबंधित अभियुक्त (प्रतिवादी संख्या 3) की जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के बारे में सचेत था, जिसने केवल उससे दो वॉकी-टॉकीज़ रखने और बरामद करने का सुझाव दिया था। यदि अभियुक्त सं. 3/प्रत्यर्थी सं. 3 के विरुद्ध एकमात्र आपत्तिजनक सामग्री यही है, तो मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना चाहिए था, जिसमें यह भी शामिल है कि इस तरह के कब्जे से टाडा की धारा 4 या 5 के तहत दंडनीय अपराध कैसे होगा। इसके अलावा, टाडा की धारा 3 में विभिन्न अपराधों को रखा गया है, जैसे कि आतंकवादी कृत्य [धारा 3 (2)], साजिश रचने या उकसाने या जानबूझकर आतंकवादी कृत्यों [धारा 3 (3)] को अंजाम देने में शामिल होना, किसी भी आतंकवादी [धारा 3 (4)] को पनाह देना या छिपाना, आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य होना, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है।

अधिनियम [धारा 3 (5)], और उनसे प्राप्त या प्राप्त किसी भी संपत्ति को धारण करने के लिए

किसी भी आतंकवादी कार्य का करना [धारा 3 (6)]। मंजूरी देने वाला प्राधिकरण टाडा की धारा 3 की उप-धारा (1) से (6) के तहत विभिन्न अपराधों में से विशिष्ट अपराधों के लिए मंजूरी देने के लिए बाध्य कर्तव्य के तहत था। इसी तरह, हम यह जानने से चूक गए हैं कि टाडा की धारा 4 और 5 केवल वॉकी-टॉकीज़ रखने के मामले में कैसे लागू होगी। धारा 4 विघटनकारी गतिविधियों को संदर्भित करती है जबकि धारा 5 अनधिकृत वर्गीकृत हथियारों और गोला-बारूद के कब्जे को संदर्भित करती है। एक वॉकी टॉकी निश्चित रूप से उन वर्गीकृत हथियारों और गोला-बारूद में से एक नहीं है। हमारी राय में, आई. डी. 1 के माध्यम से दी गई कथित मंजूरी भी केवल इसी आधार पर दिमाग का उपयोग न करने के दोष से ग्रस्त है।

20. धारा 20 के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता

ए (2) को टाडा के कठोर प्रावधानों पर विचार करते हुए रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, हमारी राय में, अभियुक्त संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 3 दिनांक 1 अप्रैल, 2005 (Exh.57) की मंजूरी भी [2019] 2 एस. सी. आर. की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है।

टाडा के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए एक वैध मंजूरी। वास्तव में, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-10 और पीडब्लू के साक्ष्य पर भरोसा किया है 13. यह, हमारी राय में, सबसे अच्छा सुझाव देगा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी प्रासंगिक कागजात पहले विचार के लिए रखे गए थे।

मंजूरी देने वाला प्राधिकारी। तथ्य यह है कि Exh.57 के तहत जारी किया गया है ए. के. भार्गव, आई. जी. पी. के हस्ताक्षर से यह दूर से भी संकेत नहीं मिलता है कि टाडा की धारा 3,4 या 5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन को मंजूरी क्यों दी गई है क्योंकि आरोपी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 3 को केवल उसके पास से दो वॉकी-टॉकीज़ रखने और बरामद करने के आधार पर दिया गया है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा उससे पूछताछ नहीं की गई है जो उस महत्वपूर्ण पहलू पर भी प्रकाश डाल सकती थी। इसलिए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 1 अप्रैल, 2005 (Exh.57) की मंजूरी, अभियुक्त संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 3 के लिए एक वैध मंजूरी नहीं है।

21. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि नामित न्यायालय ने धारा के तहत पूर्व अनुमोदन की वैधता के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया है

20 - ए (1) या धारा 20-ए (2) के तहत पूर्व मंजूरी। जैसा कि पूर्व अनुमोदन या पूर्व मंजूरी का प्रश्न मामले की जड़ तक जाता है और शून्य होता है।

टाडा अपराधों से संबंधित वैध अभियोजन के लिए और नामित न्यायालय की अधिकारिता सहित, उस मुद्दे का शुरुआत में जवाब देने के लिए नामित न्यायालय में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

22. अगला सवाल यह है कि क्या नामित न्यायालय उत्तरदाताओं को अन्य के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहरा सकता था।

अधिनियम (टाडा के अलावा)। भले ही नामित न्यायालय ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 17 में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि विद्वान एपीपी ने वैकल्पिक रूप से इस बिंदु पर तर्क नहीं दिया था, लेकिन उसने आईपीसी, शस्त्र अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, भारतीय वायरलेस और टेलीग्राफ अधिनियम जैसे अन्य अधिनियमों के तहत अपराधों के संदर्भ में रिकॉर्ड पर साक्ष्य की प्रभावकारिता का विश्लेषण किया। इसने नोट किया कि अभियोजन पक्ष के मामले का आधार आरोपी के इकबालिया बयान पर आधारित था, जिसे टाडा के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। इसने यह विचार रखा कि चूंकि वैध मंजूरी के अभाव में आरोपी पर टाडा अपराधों के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है, इसलिए उस इकबालिया बयान का कोई फायदा नहीं होगा और अन्य अधिनियमों के तहत अपराधों के आरोपों के संदर्भ में देखा नहीं जा सकता है (स्वीकार्य नहीं है) अन्य अधिनियमों के तहत अपराधों के लिए आरोपी के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए बहुत कम है। इसने यह भी पाया कि खोज और वसूली के संबंध में सबूत भरे हुए थे

घातक कमियों के साथ और की जटिलता स्थापित करने के लिए अपर्याप्त था अन्य अधिनियमों के अधीन अपराध करने में प्रत्यर्थी।

अतः इसने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त बरी होने का हकदार है। हालांकि, गढ़वी के मामले (ऊपर) के पैराग्राफ 17 और 18 में टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, इसने गलत राय दी कि नामित न्यायालय के पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं थी किसी अन्य अपराध का मुकदमा चलाने के लिए, क्योंकि धारा 20-ए (2) के तहत वैध मंजूरी नहीं थी।

23. हम जल्दबाजी में देख सकते हैं कि अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि

नामित न्यायालय, टाडा के तहत मामले की सुनवाई करने के अलावा, किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई कर सकता है जिसके साथ आरोपी पर उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है यदि अपराध टाडा के तहत अपराधों से जुड़े हैं। क्योंकि, यदि उन आरोपों को स्थापित करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य है तो अन्य अधिनियमों के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए निर्दिष्ट न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है। हम प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश भुट्टो (ऊपर) मामले में संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 37 में उपयोगी रूप से उस उक्ति का उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैः

" 37. धारा 12 (1) और (2) में अंतर्निहित विधायी आशय

स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, नामित न्यायालय को प्रयास करने के लिए सशक्त बनाने के लिए और अभियुक्त को किसी अन्य कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराना।

अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के साथ, यदि अपराध है

इस तरह के अन्य अपराध से संबंधित। भाषा "यदि अपराध है

धारा 12 (1) में नियोजित ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा हुआ है। इस अधिनियम का बहुत महत्व है। आवश्यक परिणाम यह है कि

कि एक बार दूसरा अपराध अपराध से जुड़ा हुआ है

टाडा के तहत और यदि आरोपी पर संहिता के तहत आरोप लगाया जाता है

और एक ही मुकदमे में एक साथ मुकदमा चलाया, नामित न्यायालय अभियुक्त को अपराध के लिए दोषी ठहराने का अधिकार है

इस तथ्य के बावजूद कि कोई अन्य कानून के तहत कोई अपराध नहीं है टाडा बनाया जाता है। यह एकमात्र इरादा हो सकता है

विधायिका। अन्यथा पकड़ रखने के लिए, इसे फिर से लिखना या पुनः रचना करना होगा।

कानून बनाएँ और उसमें कुछ ऐसा पढ़ें जो वहां नहीं है।

(जोर दिया गया)

यह व्याख्या हाल ही में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लागू की गई है।

अशरफखान उर्फ बाबू मुन्नाखान पठान और अन्र में निर्णय। बनाम गुजरात राज्य ", जैसा कि पैराग्राफ 41 से स्पष्ट है, जो इस प्रकार हैः

20 - टाडा का ए (1) और इस प्रकार, यह कानून में अनुमत हो सकता है - शस्त्र अधिनियम के तहत दोषसिद्धि बनाए रखना और

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लेकिन वह केवल संभव होगा

जब स्थापित करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य हों

उन आरोपों को। नामित न्यायालय ने केवल इस पर भरोसा किया है कि

अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए टाडा के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान

शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध।

हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि उनकी दोषसिद्धि दूषित है

अनिवार्य आवश्यकता के गैर-अनुपालन का खाता टाडा की धारा 20-ए (1) के तहत पूर्व अनुमोदन,

अभिलिखित स्वीकारोक्ति को स्थापित करने के लिए नहीं देखा जा सकता है उपरोक्त अधिनियमों के तहत अपराध। अतः यह विश्वास कि

शस्त्र अधिनियम की धारा 7 और 25 (1-ए) के तहत अभियुक्त और

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4,5 और 6 भी नहीं हो सकती हैं।

खड़े होने की अनुमति दी जाए।

(जोर दिया गया)

24. वर्तमान मामले में भी यह देखा गया है कि अभियोजन पक्ष ने

अनिवार्य रूप से टाडा के प्रावधानों के तहत दर्ज अभियुक्त के इकबालिया बयान पर निर्भर था। यह कोई लाभ नहीं होगा और निश्चित रूप से अन्य के तहत अपराधों के लिए मुकदमे में आरोपी के खिलाफ स्वीकार्य नहीं होगा। अधिनियम, विशेष रूप से जब नामित न्यायालय वैध मंजूरी के अभाव में टाडा के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता था।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में, तलाशी और जब्ती के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य घातक कमियों से भरे हुए हैं। हम नामित न्यायालय द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण से विचलित नहीं होना चाहते हैं कि अन्य अधिनियमों (टाडा के अलावा) के तहत अपराधों के संबंध में प्रत्यर्थियों के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत नहीं था।

25. यह कहने के बाद, यह होना चाहिए कि द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष

नामित न्यायालय, कि प्रत्यर्थी उन अपराधों के लिए दोषी नहीं हैं जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था और जिन पर मुकदमा चलाया गया था, अब तक उल्लिखित कारणों के लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों को विफल होना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए।

देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।